भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 632

29 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देना

632. श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से अब तक विभिन्न देशों से आयातित इस्पात की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार घरेलू इस्पात विनिर्माताओं को कम कीमत वाले आयातित इस्पात के प्रभाव से किस प्रकार बचाती है;

(ग) भारत में 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात की क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी ठोस कार्यनीति अपनाई गई है; और

(घ) इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-अक्टूबर) तक विभिन्न देशों से आयातित तैयार इस्पात की मात्रा का विवरण **अनुलग्नक-1** पर दिया गया है।

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार देश के सभी राज्यों में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है।

घरेलू इस्पात उद्योग को कम कीमत वाले इस्पात आयातों से बचाने के लिए पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने सहित इस्पात उत्पादों और कच्ची सामग्रियों पर आधारभूत सीमा शुल्क में अंशांकन (केलिब्रेशन) किया जाता है।

सरकार ने देश में 300 एमटी कच्चे इस्पात की क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने और घरेलू इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

जारी.....2/-

ii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ किया गया। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 29,500 करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा।

iii. केंद्रीय बजट 2024-25 में, फेरो -निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों और संकेंद्रणों पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल है। सीआरजीओ इस्पात के विनिर्माण के लिए फेरस स्क्रैप और विशिष्ट कच्चे माल पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

iv. घरेलू इस्पात उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए आयातों की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) 2.0 का सुधार किया गया।

v. इस्पात निर्माण के लिए अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करना।

vi. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

vii. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू किया गया है जिसके द्वारा घरेलू बाजार के साथ-साथ आयात में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम प्रयोक्ताओं को प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप केवल गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की स्थिति के अनुसार, कार्बन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात और स्टेनलेस इस्पात को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-1

तैयार इस्पात का आयात						('000 टन)
देश	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल-अक्टूबर 2024-25*
अर्जेंटीना	26	7	1	0	0	0
ऑस्ट्रेलिया	4	2	1	0	1	1
ऑस्ट्रिया	13	71	9	10	52	4
बहरीन	10	14	5	1	3	5
बांग्लादेश	0	0	0	6	3	1
बेल्जियम	74	56	28	33	17	10
ब्राजील	23	5	6	3	1	1
कनाडा	20	17	10	11	6	2
चीन	1207	843	833	1407	2687	1742
चेक गणराज्य	2	0	1	2	4	2
डेनमार्क	3	2	2	1	1	1
फिनलैंड	9	5	5	7	6	3
फ्रांस	56	121	58	77	15	57
जर्मनी	135	146	151	112	80	66
इंडोनेशिया	464	79	241	148	94	56
ईरान	0	0	0	0	0	0
इटली	81	33	34	31	23	24
जापान	1018	560	664	841	1274	1268
कजाखस्तान	3	11	1	6	0	0
कोरिया	2687	1947	2009	2228	2670	1527
कुवैत	8	3	3	3	9	4
मलेशिया	51	42	8	20	6	3
नेपाल	6	6	9	59	120	70
नीदरलैंड्स	11	20	13	4	3	1
न्यूजीलैंड	1	1	0	1	1	1
ओमान	4	12	5	7	11	10
पोलैंड	8	5	7	6	3	2
पुर्तगाल	2	1	2	2	0	1
रोमानिया	3	1	1	2	17	1
रूस	71	63	55	313	53	76
सऊदी अरब	8	36	14	9	39	4
सिंगापुर	139	43	8	6	4	5
स्लोवेनिया	11	7	6	4	1	3
दक्षिण अफ्रीका	22	15	8	5	7	9
स्पेन	32	20	27	21	5	3
स्वीडन	23	27	39	48	20	20
स्विट्ज़रलैंड	1	1	1	1	1	1
ताइवान	165	186	194	163	185	89
थाईलैंड	52	50	25	53	58	60
तुर्की	5	8	2	3	3	1

यू.के.	17	11	6	5	4	3
यू.ए.ई.	21	21	24	12	52	17
यूक्रेन	84	31	22	7	1	2
यू.एस.ए.	65	54	29	17	20	12
वियतनाम	86	133	75	320	737	598
अन्य	39	39	26	6	24	5
कुल	**6768**	**4752**	**4669**	**6022**	**8320**	**5768**
स्त्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम						